राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं०फा० 2/07/2020/पार्ट फाइल–III/445 दिनांक : 26.06.2021

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाना आवश्यक समझा गया है।

2. और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समय–समय पर सभी संबंधित प्राधिकारियों को उचित रूप से स्थिति से निपटने तथा सभी अपेक्षित कदम उठाने के लिए विभिन्न आदेश/निर्देश जारी किए हैं।

3. और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19 की स्थिति की पुनः समीक्षा की गई एवं यह देखा गया कि कोविड–19 के मरीजों की संख्या एवं सकारात्मकता दर में काफी हद तक कमी आई है तथा संपूर्ण स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन कोविड–19 प्रबंधन की संपूर्ण प्रक्रिया को समेकित करने के लिए उचित सावधानी व सुरक्षा को बनाए रखना होगा।

4. अब इसलिए, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, अध्यक्ष के रूप में राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद् द्वारा निर्देशित करते है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (नियंत्रण क्षेत्र के बाहर) इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक (क) में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिबंधित/निषिद्ध गतिविधियां दिनांक 28.6.2021 प्रातः 5.00बजे से दिनांक 05.7.2021 प्रातः 5.00बजे या आगामी आदेशों, जो भी इससे पहले हो, तक प्रभावी रहेंगी।

5. सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस उपायुक्त, नगर निगमों के उपायुक्त/नई दिल्ली नगर निगम के अधिकारी तथा दिल्ली छावनी परिषद्, दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा कृषि उपज बाजार समितियों के सचिव तथा सभी संबंधित प्राधिकारी सभी दुकानों, मॉलो, बाजारों, बाजार परिसरों, साप्ताहिक बाजारों, रेस्तरां एवं बार, मंडियों, अन्तर्राज्यीय बस अड्डों, रेलवे प्लेटफार्म/स्टेशन, सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों, व्यायामशालाओं एवं योगा–संस्थानों, बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल, स्लम क्षेत्रों में तथा कोविड–19 वायरस के संचरण हेतु संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में चिह्नित सभी क्षेत्रों में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे– मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, प्रतिदिन हाथ धोना और सैनिटाइजर का प्रयोग, स्वास्थ्य स्वच्छता बनाए रखना, खुले में न थूकना इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन स्थानों पर आने वाले लोगों के द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे– मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना इत्यादि का बिना किसी समस्या के सख्ती से अनुपालन किया जाए। यदि पूर्वोक्त कोविड उपयुक्त व्यहार के मानदंडों का इनमें से किसी भी प्रतिष्टान/व्यावसायिक परिसर/साप्ताहिक बाजार में अनुपालन नहीं किया जाता है

तो इस प्रकार के परिसरों/साप्ताहिक बाजार कोविड–19 वायरस के प्रसार के लिए उत्तरदायी होंगे तथा बंद कर दिए जाएंगे एवं दोषियों के खिलाफ संबंधित कानूनों के अधीन आपराधिक अभियोग भी चलाया जाएगा।

6. आगे यह भी निर्देशित किया जाता है कि बाजार व्यापार संघ, बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल एसोसिएशन, व्यायामशालाओं एवं योगा–संस्थान संघों तथा आवासीय कल्याण संघ (आरडब्लयूए) सभी दुकानों, मॉलो, बाजारों, बाजार परिसरों, कार्यालयों, साप्ताहिक बाजारों, रेस्तरां एवं बार, सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों, व्यायामशालाओं एवं योगा–संस्थानों, बैंक्वेट हॉल/मैरिज हॉल तथा निवासी अपने–अपने क्षेत्रों के भीतर कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस उपायुक्त और अन्य संबंधित प्राधिकारी दोषी पाए गए व्यक्तियों तथा इस प्रकार के प्रतिष्ठानों/व्यावसायिक परिसरों/साप्ताहिक बाजारों/सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों के खोलने व बंद करने के निर्धारित समय का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ लागू कानूनों एवं नियमों के अनुसार सख्ती से कार्रवाई करेंगे।

7. दिल्ली पुलिस आयुक्त, प्रधान सचिव (राजस्व), प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त तथा सभी संबंधित प्राधिकारियों को इस आदेश एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 29.4.2021 के आदेश जिसे नियंत्रण, जांच एवं सतर्कता, नैदानिक प्रबंधन, टीकाकरण, सामुदायिक अनुबंधन कोविड उपयुक्त व्यवहार इत्यादि के संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 27.5.2021 के आदेश के द्वारा 30.6.2021 तक विस्तारित किया गया है, में वर्तमान दिशा–निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी अपेक्षित कार्रवाई करने तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आगामी आदेशों/दिशा–निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। संबंधित प्राधिकारी, क्षेत्राधिकारियों को इन निर्देशों के सख्ती से अक्षरशः अनुपालन करने के लिए पर्याप्त रूप से सूचित एवं सचेत करेंगे।

8. यदि कोई व्यक्ति पूर्वोक्त निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो दोषी व्यक्ति (व्यक्तियों)के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

हस्ता0/

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण।
4. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
5. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

7. आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम / पूर्वी दिल्ली नगर निगम / उत्तरी दिल्ली नगर निगम)।
8. सचिव (आई एंड पी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में व्यापक प्रचार हेतु।
9. उपाध्यक्ष, दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
12. समस्त जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली।
13. निदेशक, डीजीएचएस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. भारत सरकार के केन्द्रीय सचिव के स्टाफ अधिकारी।
10. विशेष सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
11. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) / राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. अपर मुख्य सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
13. प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
14. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के समस्त सदस्य।
15. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त कार्यालय, दिल्ली, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
16. गार्ड फाइल।